संख्या:10/2019/38/35-4-2019

प्रेषक ,

आर0एन0एस0यादव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बदायूँ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:08 जनवरी,2019

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में रू.5.00 करोड़ के कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बदायूँ की विधान सभा क्षेत्र- बिल्सी, बिसौली एवं बदायूँ से संबंधित कार्यो हेतु रू. 1495.825 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 1374.070 लाख (रूपये तेरह करोड़ चौहत्तर लाख सात हजार मात्र), की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यो के लिये कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग होगी:-

(लाख रू.में)

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
1	बिल्सी	बिल्सी बजीरगंज मुख्य मार्ग पर आई0डी0ई0ए0 टावर से ग्राम बांस बरौलिया में सोरन सिंह की पुलिया तक सम्पर्क मार्ग निर्माण मिटटी से सी0सी0 तक कार्य	0.425	57.83	57.83
2	बिल्सी	ग्राम रिसौली बिल्सी मार्ग से ग्राम अकौली प्रा0 विद्यालय तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण मिटटी से लेपन कार्य	0.320	20.43	20.43
3	बिल्सी	सहसपुर डामर मार्ग से ग्राम नागरझुना में नन्हे शाक्य के मकान तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण मिटटी से लेपन कार्य	0.800	48.46	48.46
4	बिल्सी	बिल्सी-बजीरगंज मुख्य मार्ग से ग्राम भोजपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण मिटटी से सी0सी0 कार्य	0.570	76.98	76.98
5	बिल्सी	ग्राम बेहटाजवी से ग्राम सुन्दरनगर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण मिटटी से लेपन तक का कार्य	1.125	72.36	72.36
6	बिल्सी	ग्राम जमरोली से ग्राम गढ़ी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण मिटटी से लेपन कार्य	1.650	120.76	120.76
7	बिल्सी	ग्राम पतरघटा में मुख्य मार्ग से डी0पी0 आदर्श शिक्षा निकेतन तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण मिटटी से लेपन कार्य	0.220	11.978	11.978
8	बिल्सी	ग्राम चन्दऊ से ग्राम मयखेड़ा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण मिटटी से लेपन तक का कार्य	0.430	28.82	28.82
9	बिल्सी	ग्राम गिरधरपुर डामर मार्ग से जरसैनी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण मिटटी से लेपन तक का कार्य	1.000	61.85	61.85
		योग वि0स0 बिल्सी	**6.54**	**499.468**	**499.468**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
10	बिसौली	बिसौली बगरैन मार्ग से हथौड़ा देवी मन्दिर प्राचीन देवस्थल तक	0.440	21.56	21.56
11	बिसौली	चन्दौसी आसफपुर मार्ग से दीक्षिण जी के आश्रम तक	0.680	32.79	32.79
12	बिसौली	आसफपुर में गढी एवं ज्यारत तक	0.500	29.82	29.82
13	बिसौली	परौली वि0ख0 बिसौली में झण्ड़े महाराज के मन्दिर होते हुए ग्राम नौली हरनाथपुर तक	3.500	243.51	121.755
14	बिसौली	दवतोरी में सिदव बाबा महाराज तक	0.310	15.51	15.51
15	बिसौली	बिसौली चन्दौसी मार्ग से नवादा शिव मन्दिर तक	0.525	26.14	26.14
16	बिसौली	इस्लामनगर चन्दौसी रोड से ग्राम जाफरापुर में शिव मन्दिर तक	0.450	29.45	29.45
17	बिसौली	मन्नु नगर चौराहे से माता के मन्दिर तक	0.400	20.00	20.00
18	बिसौली	बिसौली-आंवला मुख्य मार्ग भवानीपुर तक 1 किमी0 तक	0.720	49.36	49.36
19	बिसौली	ग्राम बिसौली से ग्राम गंगागढ़ तक मिटटी से लेपन	0.480	28.39	28.39
		योग वि0स0 बिसौली	**8.005**	**496.53**	**374.775**
20	बदायूँ	ग्राम बनकोटा में नितिन सिंह के घर से मुख्य मार्ग तक सी0सी0 कार्य	0.330	32.000	32.000
21	बदायूँ	बदायूँ चन्दौसी रोड से ग्राम दहेमी तक डामर कार्य	0.490	28.800	28.800
22	बदायूँ	ग्राम मोहम्मदनगर सुलरा में तांगा स्टैण्ड पूर्व से मन्दिर तक मेन रोड	1.790	189.410	189.410
23	बदायूँ	ग्राम खासपुर गौटिया में पीपल से मुंशीलाल के घर तक सी0सी0 कार्य	0.215	15.610	15.610
24	बदायूँ	ग्राम बरखेड़ा गौटिया में मथुरी के घर से मन्दिर तक सी0सी0 कार्य	0.200	15.410	15.410
25	बदायूँ	ग्राम इमलिया में कब्रिस्तान से गांव तक सी0सी0 कार्य	0.480	59.820	59.820
26	बदायूँ	ग्राम ललेई में सियाराम के घर से पानसिंह के घर तक सी0सी0 कार्य	0.054	2.750	2.750
27	बदायूँ	ग्राम बनेई में होली चैक से पश्चिम साइड से राधेराम के मकान तक सी0सी0 कार्य	0.079	6.600	6.600
28	बदायूँ	ग्राम फरीदपुर चकोलर में देवेन्द्रपाल के मकान से रामप्रसाद के मकान तक सी0सी0 कार्य	0.296	26.430	26.430
29	बदायूँ	ग्राम नवादासुलरा में धर्मवीर बाबू के मकान से विनी दीक्षित के मकान तक सी0सी0	0.075	5.090	5.090
30	बदायूँ	ग्राम फकीराबाद में सरकारी स्कूल से हरीसिंह के घर तक सी0सी0 कार्य	0.230	17.800	17.800
31	बदायूँ	ग्राम भिन्दुलिया प्लासी में हाकिम सिंह के घर नेत्रपाल के घर तक सी0सी0 कार्य	0.280	27.750	27.750
32	बदायूँ	ग्राम पहलादपुर में मेन रोड से ओमकार के घर तक सी0सी0 कार्य	0.120	10.860	10.860
33	बदायूँ	ग्राम दराबनगर में मायाराम के घर से कल्लूपाली के घर तक सी0सी0 कार्य	0.091	13.380	13.380
34	बदायूँ	ग्राम भूरीपर कुसैना में शैलेन्द्र के घर से लटूरी की चौपाल तक सी0सी0 कार्य	0.250	19.590	19.590

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
35	बदायूँ	ग्राम युसुफनगर में मेनरोड से ज्ञानप्रकाश के मकान के पीछे से छबीलेश्याम के मकान तक सी0सी0 कार्य	0.200	15.707	15.707
36	बदायूँ	ग्राम सिताबनगर में रघुवीर के घर से पंकज शर्मा के घर तक सी0सी0 कार्य	0.150	12.820	12.820
		योग वि0स0 क्षेत्र बदायूँ	**5.33**	**499.827**	**499.827**
		योग जनपद बदायूँ	**19.875**	**1495.825**	**1374.070**

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से संबंधित उक्त कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मुख्यालय स्तर तथा क्षेत्रीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल पर सुसंगत सूचनाओं को अंकित करते हुये नियमित रूप से प्रगति विवरण भरा जायेगा।

4- कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि अनुमन्य नहीं है।

5- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

7- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

8- ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

10- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

11- परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

13- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2019 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2019 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2019 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

15- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

16- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा ।

17- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

18- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

19- समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

20- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21- कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

22- मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रश्नगत घोषणा से संबंधित कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग है। अतः स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल आदि के माध्यम से किया जायेगा।

23- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित ग्रामीण/नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जायेगी। संबंधित निकाय द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

2- उपर्युक्त कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0305-विधान सभा क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

संख्या:10/2019/38(1)/35-4-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8- मण्डलायुक्त, बरेली।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/मुख्य अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
10- मुख्य विकास अधिकारी, बदायूँ।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बदायूँ।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बदायूँ।
14- अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,बदायूँ।
15- अनुसचिव,मुख्यमंत्री घोषणा-प्रकोष्ठ।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in